न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 59 / 2019

1 विधाधर पुत्र किशनाराम।
2 परमेश्वर पुत्र किशनाराम।
3 राजपाल पुत्र चन्द्राराम।
4 हरदयाल पुत्र रामूराम।
5 जगदीश प्रसाद पुत्र रामूराम समस्त जाति जाट निवासीगण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मुराद खां पुत्र रहीम खां।
2 बशीर खां पुत्र रहीम खां।
3 जीवण खां पुत्र रिडमल खां।
4 मनफुल खां पुत्र कासम खां।
5 सफिया बानो पत्नी बुधे खां।
6 आरिफ खां पुत्र बुधे खां।
7 अयुब खां पुत्र बुधे खां।
8 महनूदीन पुत्र बुधे खां।
9 गोरू खां पुत्र लाब्दी खां समस्त जाति मायमखानी निवासीगण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
10 ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
11 तहसीलदार एवं उप पंजियक महोदय रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

12 बीरबल पुत्र हरूराम।

13 सुभाष पुत्र हरूराम।

14 राजकुमार पुत्र हरूराम समस्त जाति जाट निवासीगण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 19.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर बसिलसिले दावा उनवानी विधाधर बनाम मुराद खां आदि दावा संख्या 76/2015 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

अपील संख्या 60/2019

1 मूलाराम पुत्र जीवणराम मृतक।

1/1 हरलाल पुत्र मुलाराम।

1/2 हरनन्द पुत्र मुलाराम।

1/3 सुखदेव पुत्र मुलाराम।

1/4 खीवणी स्त्री मुलाराम समस जाति जाट निवासीण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

1/5 बिमला पुत्री मुलाराम पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासी ढ़ाढ़ण तहसील रामगढ़ जिला सीकर।

1/6 मनोहरीा पुत्री मुलाराम पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासी नगरदास तहसील रामगढ़ शेखावाटी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

2 उकाराराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मुराद खां पुत्र रहीम खां।
2 बशीर खां पुत्र रहीम खां।
3 जीवण खां पुत्र रिडमल खां।
4 मनफुल खां पुत्र कासम खां।
5 सफिया बानो पत्नी बुधे खां।
6 आरिफ खां पुत्र बुधे खां।
7 मोरू खां पुत्र लाब्दी खां।
8 शमशेर खां पुत्र रज्जाक खां।
9 नसरीन बानो पत्नी मोहम्मद रफीक समस्त जाति मायमखानी निवासीगण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
10 नारायणराम पुत्र महादेवाराम।
11 मोहनलाल पुत्र भुराराम।
12 गिरधारीलाल पुत्र भुराराम।
13 बनवारीलाल पुत्र भुराराम।
14 फुली देवी बेवा भुराराम समस्त जाति जाट निवासीगण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
15 तहसीलदार एवं उप पंजियक महोदय रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी
जिला सीकर बसिलसिले दावा उनवानी मुलाराम आदि
बनाम मुराद खां आदि दावा संख्या 73/2015
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम।

अपील संख्या 61/2019

1 हुक्मा पुत्र धर्माराम।
2 सोहनलाल पुत्र भेभा।
3 रामप्रताप पुत्र भेभा जाति जाट निवासीगण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मनफुल खां पुत्र कासम खां।
2 सफिया बानो पत्नी बुधे खां।
3 आरिफ खां पुत्र बुधे खां।
4 अयुब खां पुत्र बुधे खां।
5 महनूदीन पुत्र बुधे खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
6 तहसीलदार एवं उप पंजियक महोदय रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी
जिला सीकर बसिलसिले दावा उनवानी हुक्मा आदि
बनाम मनफुल आदि दावा संख्या 75/2015
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम।

अपील संख्या 62/2019

1 शिवकुमार पुत्र बालुराम।
2 मोहनलाल पुत्र बालुराम।
3 सुभाषचन्द्र पुत्र बालुराम समस्त जाति जाट निवासीगण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मुराद खां पुत्र रहीम खां।
2 बशीर खां पुत्र रहीम खां।
3 जीवण खां पुत्र रिडमल खां।
4 मनफुल खां पुत्र कासम खां।
5 सफिया बानो पत्नी बुधे खां।
6 आरिफ खां पुत्र बुधे खां।
7 अयुब खां पुत्र बुधे खां।
8 महनूदीन पुत्र बुधे खां।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 गोरू खां पुत्र लाब्दी खां समस्त जाति मायमखानी निवासीगण कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

10 ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी कायमसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

11 तहसीलदार एवं उप पंजियक महोदय रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी
जिला सीकर बसिलसिले दावा उनवानी शिवकुमार
बनाम मुराद खां आदि दावा संख्या 74/2015
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांक:– 16.11.2021

यह चारो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 73/2015,74/2015,75/2015,76/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। चारो प्रकरणों की प्रकृति एक समान होने से चारो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति चारो पत्रावलियों में पृथक पृथक रखी जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा ग्राम कायमसर की भूमि खसरा नम्बर 32/2,32/1, 168,34,36,236 बाबत पृथक पृथक दावा प्रतिकुल कब्जे के आधार पर घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से चारो वाद खारिज किये है। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट की ओर से चार अलग–अलग अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के दावे को दर्ज रजिस्टर करने का व प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तामील जारी करने का आदेश दिनांक 17.12.2015 को पारित किया था और उसके बाद दिनांक 23.05.2016 तक प्रतिवादीगण ने काफी अवसर दिये जाने के बाद भी कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया और प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3,5,6,8 द्वारा काफी अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर जवाब देही दिनांक 16.08.2016 को विचारण न्यायालय द्वारा बन्द की गई व पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के जवाब हेतु 23.08.2016 की तारिख पेशी नियत की गई नियत करने के बाद वादी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बिना ही विचाराधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का ऐसा आदेश विधि सम्मत नही माना जा सकता है। वादीगण का कथन रहा है कि विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा उनके पूर्वजो के समय से व काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से निरन्तर चला आ रहा है व जिसकें सम्बंध में अपीलांट को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है केवल मात्र दावे में प्रतिकूल कब्जा शब्द लिखा जाने मात्र से वादीगण का दावा मेन्टीनेबल नही मानने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद साक्ष्य के आधार पर तय होना है। वादी के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

वाद को बिना किसी आधार के विधि द्वारा वर्जित नही माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी 2021 (1) पेज 638 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के दावे को दर्ज रजिस्टर करने का व प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तामील जारी करने का आदेश दिनांक 17.12.2015 को पारित किया था और उसके बाद दिनांक 23.05.2016 तक प्रतिवादीगण ने काफी अवसर दिये जाने के बाद भी कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया और प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3,5,6,8 द्वारा काफी अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर जवाब देही दिनांक 16.08.2016 को विचारण न्यायालय द्वारा बन्द की गई व पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के जवाब हेतु 23.08.2016 की तारिख पेशी नियत की गई नियत करने के बाद वादी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बिना ही विचाराधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का ऐसा आदेश विधि सम्मत नही माना जा सकता है। वादीगण का कथन रहा है कि विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा उनके पूर्वजो के समय से व काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से निरन्तर चला आ रहा है व जिसकें सम्बंध में अपीलांट को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है केवल मात्र दावे में प्रतिकूल कब्जा शब्द लिखा जाने मात्र से वादीगण का दावा मेन्टीनेबल नही मानने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद साक्ष्य के आधार पर तय होना है। वादी के वाद को बिना किसी आधार के विधि द्वारा वर्जित नही माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 638 में माननीय राजस्व मण्डल ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अभिनिर्धारित किया है कि " Code of Civil Procedure, 1908- Order 7, Rule 11- Application rejected and refused to reject the plaint filed on the basis of adverse possession - Contention that suit is not maintainable - Question of facts and law are involved and evidence is necessary- At this stage suit cannot be dismissed - Held, Revision is devoid of substance and deserves to be dismissed.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर